राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1393/2025

आबिद हुसैन खान

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–2), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर–द्वितीय के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोड़क स्टेशन, कोटा में पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से उप जिला चिकित्सालय, सिवाना, बालोतरा में 750 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी भी मदरसा पैरा टीचर के पद पर मोडक स्टेशन, जिला कोटा में कार्यरत है (अनुलग्नक–2)। राजस्थान स्थानान्तरण नीतियों के अन्तर्गत यदि पति–पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उनकों आस–पास या एक ही जिले में पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी की दो छोटी बच्ची है। अपीलार्थी की पत्नी हृदय रोग से पीड़ित है एवं अपीलार्थी की लिवर की बीमारी से ग्रसित है। जिसका निरन्तर

ईलाज चल रहा है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश में अनिद हुसैन अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सही नाम आबिद हुसैन खान है। उक्त आदेश बिना मस्तिष्क के प्रयोग किये हुये किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1061/2025 गुल मोहम्मद अंसारी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर–द्वितीय के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोड़क स्टेशन, कोटा में कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य